सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :— शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

प्रकरण संख्या:— 169/दावा/2020 दायरा दिनांक :— 09.10.2020

GCMS ID—2020/00185

1. देवनाथ आ0 लक्ष्मण नाथ जाति नाथ निवासी जोगी पाडा ग्राम बसोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।

वादी

बनाम

1. हरजी नाथ आ0 कामनाथ जाति नाथ निवासी ग्राम बसोली (बरडा) तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
2. देव नाथ आ0 कामनाथ जाति नाथ निवासी ग्राम बसोली (बरडा) तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
3. शंकर नाथ आ0 कामनाथ जाति नाथ निवासी ग्राम बसोली (बरडा) तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
4. गोगा बाई पत्नी कामनाथ जाति नाथ निवासी ग्राम बसोली (बरडा) तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।

प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र :— राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1956
की धारा 188 रा0टि0 एक्ट बाबत स्थाई निषेधाज्ञा

वकील वादी :— श्री दिलीप सिंह गौड
वकील प्रतिवादीगण :— एक पक्षीय कार्यवाही

दिनांक :— 28/03/2025

निर्णय

दावा पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी अनुसूचित कालबेलिया जाति का परम्परागत वनवासी निर्धन व्यक्ति है जो वनवासी कालबेलिया जाति का होने से वनों में निवास करके वन भूमि में परिश्रम करके कृषि आदि कार्य करके अपना व अपने परिवार का जीवन निर्वाह करता है। भारत सरकार के जन जातिय कार्य मंत्रालय ने वन भूमि के अधिकारों के लिए दावा प्रस्तुत करने हेतु अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) नियम 2008 के नियम 11(1)(क) के तहत वादी के अन्य परम्परागत वन निवासी स्वीकृत किया है। वन भूमि के अधिकारों के लिए प्रस्तुत दावे की फोटो प्रति साथ में संलग्न है। कालबेलिया जाति परम्परागत वन वासी होने से वादी व उसके पूर्वज सदियों से वन में निवस करते चले आ रहे है, वन भूमि में ही कृषि कर्म करके जीविकोपार्जन कर रहे है। वादी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमियॉ खसरा संख्या 1266 रकबा 6 बीघा, खसरा संख्या 1277 रकबा 7 बीघा, खसरा संख्या 1279 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम बसोली वन क्षेत्र ओवण, रनेज व तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित है। जिस पर वादी अपने पिता व दादा के जीवनकाल से पिछले करीब 50 वर्षो

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

से भी अधिक समय से निरन्तर बहैसियत परम्परागत वन वासी कृपक काबिज काश्त है। वादी उक्त कृषि भूमियों की शास्ति की राशि राजस्थान सरकार को अदा करा रहा है, वादी ने उक्त कृषि भूमियों पर कृषि कार्य के अधिकार की मान्यता के लिए भारत सरकार के जन जातिया कार्य मंत्रालय के प्रारूप (क) में वन भूमि के अधिकारों के लिए दावा अनुसूचित जन जाति व अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) नियम 2008 के नियम 11(1)(क) के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत कर रखा है, जिसकी प्रमाणित प्रति साथ में संलग्न है। उक्त कृषि भूमियॉ गैर मुमकिन बरडा है जिसे वादी ने समतल करके कुॅआ खुदवाकर बहुत अधिक राशि खर्च करके, परिश्रम करके उक्त बरडे को कृषि भूमि योग्य बनाया है। उक्त कृषि भूमियों पर वादी के सिवाय अन्य किसी का कोई हम व आधिपत्य नहीं है, अन्य किसी परम्परागत वन वासी ने उक्त कृषि भूमियों में वन अधिकारों की मान्यता के लिए कोई दावा भारत सरकार व राजस्थान सरकार के यहॉ पेश नही किया है। वादी उक्त कृषि भूमि का एक मात्र तन्हा दावेदार है। प्रतिवादीगण लडाकू प्रकृति के भू माफिया व्यक्ति है जो सीधे साधे निर्धन वादी को डरा धमकाकर उसकी कृषि भूमियों व सम्पत्ति पर कब्ज करने की निरनतर कोशिश कर रहे है। प्रतिवादीगण दिनांक 02.10.2020 को एक राय होकर वादी की उक्त कृषि भूमियों पर कब्जा करने के इरादे से आये और वादी व उसके परिवारजन से कहा कि यह कृषि भूमियॉ तो हमारी है, हम इस पर खेती करेंगे, यह जमीन हमें संभला दे नही तो हम तुझे परिवार सहित जान से मार देगे। प्रतिवादी गण ताकत के बल पर वादी के स्वामित्व, आधिपत्य व वन वासी अधिकारों की कृषि भूमि पर कब्जा करने पर आमादा है। जिसकी रिपोर्ट वादी द्वारा पुलिस थाना बसोली में दिनांक 05.10.2020 को पेश कर दी है। उक्त कृषि भूमियों पर वादी अपने पूर्वजों के समय से ही पिछल करीब 50 वर्षो से भी अधिक समय से बहैसियत परम्परागत वन वासी उक्त कृषि भूमियों पर कृषि कार्य कर रहा है, जिस पर से वादी को बेदखल करने का प्रतिवादीगण को काई अधिकार नहीं है। उक्त कृषि भूमि पर कृषि कार्य करने का वादी को विधिक अधिकार प्राप्त है। वादी को अधिकार प्राप्त है कि व माननीय न्यायायल से प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी करा लेवे कि प्रतिवादीगण वादी के स्वामित्व व आधिपत्य की वन वासी अधिकारों की कृषि भूमि पर अतिक्रमण नहीं करे, कब्जा नहीं करे, वादी को बेदखल नहीं करें, ऐसा कार्य ने तो स्वयं करे और न ही अन्य से करावे। प्रतिवादीगण ने ताकत के बल पर उक्त कृषि भूमियों पर अतिक्रमण कर कब्जा कर वादी को बेदखल कर दिया तो वादी अपने स्वामित्व व आधिपत्य की वन वासी कृषि भूमियों से वंचित हो जावेगा और वादी व उसके परिवार के सामने भूखों मरने की नौबत आ जावेंगी। वाद कारण प्रतिवादीगण एक राय होकर दिनांक 02.10.2020 को वादी की कृषि भूमि पर कब्जा करने की धमकी देने पर ग्राम बसोली में निरन्तर हो रहा है। न्यायालय श्रीमान को उक्त वाद का श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार प्राप्त है। वाद अन्दर अवधि प्रस्तुत है। वाद निर्धारित न्याय शुल्क मय तलबाना के साथ प्रस्तुत है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार फरमाया जाकर डिक्री किया जाकर इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वादपत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित भूमियों पर वादी के शान्तिपूर्ण कब्जें व कृषि कार्य में प्रतिवादीगण किसी भी प्रकार का अवरोध व हस्तक्षेप उत्पन्न नहीं करें, अतिक्रमण नहीं करे, कब्जा नहीं करे एवं न अन्य

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

किसी से करावे। अन्य न्यायोचित सहायता जो उचित हो वादी को प्रतिवादीगण से दिलायी जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा बावजूद तामिलों के जबाव पेश नहीं करने व अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए।

वादी द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में स्वयं का शपथ पत्र पी0डब्लू0–1 पेश किया है साथ ही रसीद पैनल्टी वन–विभाग दिनांक 17.11.2008, 26.05.2015, वर्ष 2011, दिनांक 01.02.2018, वन विभाग द्वारा जारी नोटिस वर्ष 2008, 2017, 2018, पैनल्टी नोटिस दिनांक 23.01.2001, 11.02.2009, 12.09.2008, आधार कार्ड पेश किये है।

हमने वकील वादी की बहस सुनी। जो कि वादपत्र के अनुसार रही। वकील वादी ने उसके कब्जे की भूमि खसरा संख्या 1266 रकबा 6 बीघा, खसरा संख्या 1277 रकबा 7 बीघा, खसरा संख्या 1279 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम बसोली पटवार मण्डल बसोली पर पिछले 50 वर्षो से निंरतर काबिज काश्त होने से प्रतिवादीगण द्वारा उनको कब्जे से बेदखल नहीं करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करने का कथन किया है।

प्रकरण में वकील वादी द्वारा की गई बहस के दौरान प्रस्तुत सम्पूर्ण तर्को एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों/साक्ष्यों का अवलोकन कर गहनता पूर्वक मनन किया गया।

प्रकरण में सम्पूर्ण सम्पूर्ण तथ्यों के विवेचन उपरान्त वादी द्वारा यह वाद वन–विभाग की भूमि जिस पर वादी काबिज काश्त है, पर प्रतिवादीगण को उसके कब्जे काश्त की भूमि पर दखलअदांजी नहीं करने, बेदखल नहीं करने बाबत निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु पेश किया है। वादी स्वयं विवादित भूमियों में अतिक्रमी की हैसियत से काबिज काश्त है। राजकीय भूमि में अतिक्रमण से किसी भी अतिक्रमी को कोई भी स्वत्व व अधिकार प्राप्त नहीं होते है। एक अतिक्रमी द्वारा दूसरे अतिक्रमी के विरूद्ध चाहा गया अनुतोष दिया जाना विधि के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। वाद वादी पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दपतर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/03/2026

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौली

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446